छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण क्रमांक 339/2008*</u>

1. **श्री सेवकराम पाण्डेय, – *अपीलार्थी***
संचालक, कुबेर गृह निर्माण
सहकारी समिति मर्यादित,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – ***प्रति अपीलार्थी***
जोन क्रमांक-5, नगरपालिका निगम,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 02 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सेवकराम पाण्डेय द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, जोन क्रमांक-5, नगरपालिका निगम, रायपुर के समक्ष दिनांक 31.10.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.02.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील का भी निराकरण समयावधि में नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 28.03.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में विलंब, अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी, जोन क्रमांक-5, नगरपालिका निगम, रायपुर को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 24.01.2009 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि पहले अपीलार्थी को निरीक्षण हेतु बुलाया गया था, किन्तु उनके उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22.05.2008 को जानकारी प्रदान कर दी गई और उसके बाद आवेदक के पत्र देने पर उन्हें अतिरिक्त जानकारी भी दिनांक 31.10.2008 को प्रदान कर दी गई है तथा आयोग के निर्देशानुसार उन्हें संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण भी कराया गया । तर्क में अपीलार्थी ने यह बताया कि उन्होंने निरीक्षण कर लिया है और उन्हें जानकारी भी दी गई है, किन्तु कुछ जानकारी अस्पष्ट है तथा कुछ भवनों में ताला लगा पाया गया, ऐसी

जानकारी भी दी गई है । प्रकरण से स्पष्ट होता है कि चूंकि काफी विस्तृत जानकारी थी, अतः उसको देने में विलंब हुआ है और स्थल से भी कुछ जानकारी एकत्रित करके दी गई है, अतः उपरोक्त स्थिति में दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद मान्य किया जाता है और इस प्रकरण में शास्ति की आवश्यकता नहीं होने के कारण उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । किन्तु फिर भी अभी कुछ जानकारी अस्पष्ट और अपूर्ण होना बताया जा रहा है, अतः आयुक्त, नगर निगम को निर्देश दिये जाते हैं कि जो जानकारी शेष रह गई है, वह भी अब अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क दिलवाई जावे । इस प्रकरण में संबंधित रिकार्ड को व्यवस्थित रखने में कुछ त्रुटि पाई जाती है, अतः अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत आयुक्त, नगर निगम को यह अनुशंसा की जाती है कि पूर्ण जानकारी देने में कुछ विलंब होने के कारण उस रिकार्ड को व्यवस्थित नहीं रखने के लिए जो अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार पाये जावे, उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्क कार्यवाही की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त